राहत के रूप में न्याय

लेखक - जी.एस बाजपेई (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी में प्रोफेसर और चेयरपर्सन)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

23 दिसम्बर, 2020

मुआवजे पर पीड़ितों के अधिकार के संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला न्यायशास्त्र में एक मील का पत्थर साबित होगा।

उच्च न्यायालय द्वारा करण बनाम स्टेट एन.सी.टी ऑफ दिल्ली मामले में दिए गये ऐतिहासिक फैसले में पीड़ितों के मुआवजे का अधिकार सुरक्षित किया गया है। पीड़ित न्यायशास्त्र पर निर्णय का प्रगतिशील प्रभाव निश्चित रूप से अद्वितीय साबित होगा।

भले ही CrPC की धारा 357 ने आरोपियों को पीड़ित को 'मुआवजा' देने का आदेश देने के लिए अदालतों को सशक्त बनाया हो, लेकिन इसका पालन शायद ही कभी किया गया है। इसने शीर्ष अदालत को कई अवसरों पर निरीक्षण करने के लिए प्रेरित किया कि धारा 357 का उदारतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। अंततः अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों को धारा 357 के उपयोग से संबंधित न्यायिक विचार और अभिलेख को पारित करने या पारित नहीं करने के आदेशों को लागू करना चाहिए।

हालाँकि, निचली अदालतों ने धारा 357 को लागू करते समय व्यावहारिक अड़चनें पाई है। जिसमें सबसे पहला है कि ये अदालतें धारा 357 की भाषा द्वारा सीमित थीं, जिसने उन्हें केवल ऐसे मुआवजे के लिए आदेश जारी करने की अनुमति दी जो अन्यथा दीवानी न्यायालय में वसूली योग्य हो सकती है।

दूसरा है कि आरोपी की भुगतान क्षमता की गणना करने के साथ-साथ पीड़ित पर अपराध के प्रभाव की गणना करने के लिए एक समान तंत्र की अनुपस्थिति ने अदालतों को धारा के तहत मुआवजा देने से रोक दिया। सजा संबंधी दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति ने अनुभाग के आवेदन को बाधित कर दिया। न तो धारा 357 और न ही अंकुश शिवाजी गायकवाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन सीमाओं के संबंध में अदालतों का मददगार साबित हुआ।

करण के फैसले का महत्व मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए विक्टिम इंपैक्ट रिपोर्ट (वीआईआर) के दिल्ली उच्च न्यायालय के उपयोग में निहित है। वीआईआर का न्यायालय का संस्करण बहुत हद तक विक्टिम इंपैक्ट स्टेटमेंट्स (वीआईएस) की अवधारणा पर आधारित है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतरों के साथ।

विक्टिम इंपैक्ट स्टेटमेंट्स पीड़ित भागीदारी का एक उपकरण है, जो प्रभावी रूप से पीड़ितों को अपने शब्दों में अदालत को सूचित करने की अनुमति देता है कि अपराध ने उन्हें कैसे और कितना प्रभावित किया है। छोटे बदलावों को छोड़कर, विक्टिम इंपैक्ट स्टेटमेंट्स के प्रारूप में शारीरिक चोट, भावनात्मक क्षति या संपत्ति को नुकसान का वर्णन शामिल है।

विक्टिम इंपैक्ट स्टेटमेंट्स पीड़ितों को सीधे अदालत को संबोधित करने का अवसर प्रदान करता है और इसलिए, अदालत द्वारा उनकी चिंताओं को सुनने और संबोधित करने के बारे में उन्हें आश्वासन प्रदान करने की दिशा में काम करता है। यह सजा की मात्रा और जुर्माना का निर्धारण करने में अदालत की सहायता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

न्यायालय की अवधारणा में वीआईआर का प्राथमिक उद्देश्य अभियुक्त की भुगतान क्षमता के साथ पीड़ित को मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक सहायता के रूप में कार्य करना है। वीआईआर को सीधे पीड़ित द्वारा अदालत के समक्ष नहीं दायर किया जाएगा, बल्कि दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा दायर किया जाएगा, जो पीड़ित पर अपराध के प्रभाव की जांच करेगा।

डीएलएसए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो अभियुक्त की भुगतान क्षमता के साथ-साथ पीड़िता पर उसके प्रभाव को भी दोषी ठहराएगी। अदालतों को इस रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे का एक आदेश पारित करना होगा। यह योजना दिल्ली की सभी निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी है जो आपराधिक मामलों का निपटान करते हैं।

जहाँ एक तरफ फैसला पीड़ितों में उम्मीद की किरण जगाती है, वही दूसरी तरफ कुछ चिंताएँ भी हैं। उदाहरण के लिए, धारा 357 की भाषा क्षतिपूर्ति और मुआवजे (restitution and compensation) के बीच अंतर नहीं करती है। क्षतिपूर्ति (restitution) में भुगतान अपराधी द्वारा की जाती है जबकि मुआवजे (compensation) में राज्य द्वारा भुगतान किया जाता है। जब तक इस अंतर को वैधानिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती है, अस्पष्टता बनी रहेगी।

इसके अलावा, वीआईआर / वीआईएस केवल मुआवजे की गणना तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे सजा प्रक्रिया में प्रभावी रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। समय की मांग यह है कि अपराध के शिकार को न्याय दिलाने में सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक के रूप में वीआईआर / वीआईएस को अपनाने के लिए अदालतें आगे आएं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. भारतीय दंड संहिता की धारा 357 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. यह धारा आपराधिक अदालत को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर (Compensation) देने एवं अभियोजन के व्ययों को देने का आदेश दे सके।
2. इसकी उप-धारा (1), अभियुक्तों पर लगाए गए जुर्माने की सजा में से अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने की शक्ति प्रदान करती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 **(b)** केवल 1
(c) 1 और 2 दोनों **(d)** न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of Section 357 of the Indian Penal Code:-

1. This section empowers the criminal court to order the victim to pay compensation and the expenses of prosecution.
2. Its sub-section (1) empowers the victims of crime to be compensated out of the penalty of fine imposed on the accused.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2 **(b)** Only 1
(c) Both 1 and 2 **(d)** Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. पीड़ित मुआवजा से आप क्या समझते है? भारत में पीड़ित मुआवजा योजनाओं का विश्लेषण करते हुए इस संदर्भ में भारतीय संविधान के तहत दिए गये प्रावधानों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. What do you understand by victim compensation? While analyzing the victim compensation schemes in India, discuss the provisions given under the Indian Constitution in this context. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।